संख्या:451/2016/5589जेएल/22-3-16-100(49)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2016***

विषय: जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध विचाराधीन बंदीगण-(1)मंगल सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह एवं (2) सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, निवासी जनपद-कानपुर देहात को जिला कारागार, इटावा, कानपुर नगर या फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-37272/सामा-1(3)/फतेहगढ़ मं0/2016, दिनांक 19-10-2016 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध निम्नलिखित 02 (दो) विचाराधीन बंदियों को सम्यक विचारोपरान्त उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	मंगल सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह	जि0का0 उन्नाव	जि0का0 कानपुर नगर
2	सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह	जि0का0 उन्नाव	जि0का0 कानपुर नगर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:451/2016/5589जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव/कानपुर नगर।
2. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव/कानपुर नगर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in